- लीगल सेल गठित करें। लीगल सर्विस अथार्टी की मदद से प्रोग्राम बनायें।
- जमीअत के तहत डॉक्ट्रों की भी एक कमेटी गठित करें और गरीब बेसहारा मरीज़ों के निशुल्क इलाज के लिये कैम्प अथवा का आयोजन करें।
- कभी कभार पेश आने वाली समस्याओं में खुद भी भावना और ज़िम्मेदारी की भावना के साथ लोगों का मार्गदर्शन करें।

मेटिंग व मशवरे से संबंधित जरूरी हिदायात

मक़ामी, शहरी और जिलई जमीअत उलमा हर यूनिट के लिए दो तरह की मेटिंग लेना ज़रूरी है।

1) तरतीबे नज़म की मेटिंग : मक़ामी जमीअत हर पंदरह दिन में एक बार शहरी व तालुका जमीअत हर महीने में एक बार और जिला जमीअत हर महीने में दो बार मेटिंग तलब करे, जिसमें हर जिम्मेदार और सदस्य का शरीक होना जरूरी है इस मेटिंग में तर्बियती दर्स ज़रूरी है जिस में दर्से कुरआन दर्से हदीस के साथ जमीअत की तारीख और अकाबिर उलमा की सवानेहे हयात सुनाई जाए, फिर पेश आमदा मसाएल पर तबादला-ए-ख़्याल हो, गुज़श्ता तय शुदा उमूर की कारगुज़ारी ओर आइंदा के उमूर पर मशवरा हो।
2) हंगामी मेटिंग: मरकज़ी, सूबाई और इलाक़ाई जमीअतों की तरफ से आने वाले तक़ाज़ों नीज़ मक़ामी सतह की हंगामी ज़रूरतों के वक़्त हंगामी मेटिंग लेना और उसमें भी सभी जिम्मेदारान का शिर्कत करना ज़रूरी होगा।

   सभी यूनिटों के ज.सिक्रेटरी हर मेटिंग की रिपोर्ट तय्यार करे और अपने से ऊपर जमीअत के दफ्तर या सदर/सिक्रेटरी को एक कॉपी रवाना करे।

   ज़िला जमीअत के ज.सिक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि हर दो माह पर जिलई जमीअत उलमा की मेटिंग कराकर इसकी रिपोर्ट जमीअत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर मुंबई रवाना करे।

जमीअत उलमा के पदाधिकारियों और सदस्यों के लिये

लायहे अमल

निर्देशानुसार

हज़रत मौलाना हाफिज़
मुहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम
अध्यक्ष जमीअत उलमा महाराष्ट्र
Mobile : 9422657332

मुरत्तिब : **मौलाना मुहम्मद इब्राहीम क़ासमी**
(अध्यक्ष जमीअत उलमा जिला शोलापुर)

प्रकाशक

जमीअत उलमा महाराष्ट्र
Jamiat Ulama -i- Maharashtra
कार्यालय: 77/7 ज़ैनुल आबिदीन बि., इब्राहीम रहमतुल्लाह रोड, भिंडी बाज़ार, मुंबई–03
Telefax : 022-23712323 E-mail : jamiatulama.i.mh@gmail.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

यह बात सत्य है कि दीन तारीख से नहीं बल्कि तहरीक से चलता है और तारीख ग्वाह है कि जब कभी इस्लाम पर खतरात के बादल मंडलाए तो ख़ालिके अर्ज़ व समा ने अपने महबूब तरीन बंदों के ज़रिये ऐसी तहरीकें पैदा फरमाईं जिसने इसलाम का पुरज़ोर देफा किया और इसके तहफ्फुज़ के लिये हर मुमकिन कोशिशें की, इन्हीं मुख्लिस अल्लाह वालों की तहरीकों में एक तहरीक जमीअत उलमा हिन्द है जिसने क़ौमी, वतनी, मिल्ली ज़िम्मेदारियों और क़ौम व मिल्लत की तामीर व तरक्की के लिये बेश बहा खिदमात अंजाम दी है।

हज़रत मौलाना अख़लाक़ हुसैन क़ासमी पूर्व प्रबंधक जमीअत उलमा हिन्द अपनी किताब ''जमीअत उलमा हिन्द के तामीरी प्रोग्राम'' में लिखते हैं:

''जमीअत उलमा हिन्द ने 1947 तक मुल्क व मिल्लत की धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में नुमायां भागीदारी लिया और वतन की आज़ादी और मिल्लते इस्लामिया की आज़ादी और इज्ज़त के लिये सरफरोशाना कुर्बानियों का बेमिसाल रिकार्ड क़ायम किया। 1947 के इनकलाब के बाद इस जमाअत ने अपनी गतिविधियों के लिये शिक्षा और समाज सेवा का मैदान ख़ास कर लिया। क्योंकि यह वह दौर था जिस में भारत के मुसलमान बंटवारा दर बंटवारा के नतीजे में करीब करीब वहां खड़े हो गये थे जहां इस्लाम के शुरुआत में मुसलमान मक्की ज़िन्दगी के अंदर खड़े थे। जमीअत उलमा हिन्द के बड़ों ने हमेशा मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिये सरवरे काएनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफा स.अ.व. के बेहतरीन केरेक्टर को सामने रखा। हुजूर स.अ.स. के उमदा अख़लाक ने एक कमज़ोर उम्मत को किस तरह मक्की जीवन के तेरह वर्ष की पीड़ा और प्रेशानियों से निकाला दुनिया के इतिहास का यह एक निहायत शिक्षाप्रद अध्याय है।''

(तामीरी जिद्दो जोहद किताबुल्लाह, उसवए रसूल स.अ.स. अकल व हिकमत की रोशनी में पृष्ठ 7)

पहचान पत्र लें और जनपदी अध्यक्ष और प्रबंधक अपने निचले सदस्यों और क्षेत्रीय जमीअत के पदाधिकारियों को पहचान पत्र बनाकर दें।

- ऊपर बताये गये स्वार्थों व लक्ष्यों को हासिल करने के लिये सहकमेटियाँ बनायें।
- अध्यक्ष सचिव संबंधित लोगों से प्रति दिन अवश्य संपर्क करें और काम की तरक्की मालूम करें।
- साथियों में जोड़ और एकता को बाकी रखने की हर संभव कोशिश करें।
- साथियों को किसी मामले में नर्वस या थकान महसूस ना होने दें।
- हर सदस्य से कोई ना कोई काम ज़रूर संलग्न करें और प्रति दिन थोड़ा वक़्त जमीअत के लिये निकालने का प्रोत्साहन दें।
- तमाम उमूर में सदस्यों से मशवरा करें और क्षमता अनुसार काम बांट दें।
- दीगर मक़ामी संस्थाओं, ट्रस्ट और सोसायटियों को भी जमीअत से जोड़ें और उनको जमीअत के कामों में शरीक करें।
- स्कूल कालेजस् के अध्यापकों विद्यार्थियों के बीज जमीअत की तारीख और देश की स्वतंत्रता में उसकी भूमिका बयान करें और वर्तमान प्रस्थितियों में जमीअत को मज़बूत करना कितना अनिवार्य है इस सिलसिले में उनके बीच बात करें। इनसे शिक्षा मामलों में जमीअत का साथ देने की अपील करें। समकालीन शिक्षार्थ लोगों को महेश भट की डॉक्यूमेंट्री दिखायें, इसी तरह सरकार द्वारा तहरीबे रेशमी रूमाल और हज़रत मौलाना सय्यद हुसैन अहमद मदनी रह. पर जारी डाक टिकट बतायें ताकि वह जमीअत से परिचित हो सकें।
- कलेक्टर, पोलिस कमिश्नर, पोलिस सुप्रिंटंड वग़ैरा से कभी कभार मिलना, पोलिस के खुफिया विभागों से संपर्क रखना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी तौर पर सही प्रस्थिती की जानकारी और मदद हासिल हो सके।

कार्यकर्ताओं में थकान, मायूसी या बद-दिली पैदा ना हो और कार्यकर्ता किसी आर्थिक परेशानी में लिप्त ना हो सके।

हर सहायक जमीअत अपने ऊपर की जमीअत को तीन माही रिपोर्ट जरूर देगी और यही चीज़ उसके हरकत व अमल या कोताही का सुबूत देगी।

जनपद के चुनावी सभा में स्थानीय जमीअतों का जाएज़ा पेश करना, जहां तामीरी प्रोग्राम चल रहा हो उसकी संक्षिप्त रूदाद और जहां ना चल रहा हो वहां की परस्थिती बतलाना, एवं जो अहम स्थान हों मगर वहां स्थानीय जमीअत कायम ना हो तो वहां जमीअत की स्थापना और तामीरी प्रोग्रामों का व्यवस्था करना।

अगले ट्रम के लिये तामीरी प्रोग्रामों का खाका और निशाना तैयार करना और तमाम शाखाओं को उनकी क्षमता अनुसार बाध्य करना, उनका मार्गदर्शन और देख रेख करना, इनकी नैतिक मदद करना और उनकी कठिनाइयों का निवारण ढूंढ़ना। ज न प द ी जमीअत के तमाम पदाधिकारियों में क्षमतानुसार कामों को बांट कर उनका मार्गदर्शन करना और संघर्ष का नकशा बनाकर उसके अनुसार अमल दरआमद का समीक्षा लेना।

नये चुनाव के बाद तीन माही रिपोर्ट तैयार करके राजस्तरीय जमीअत को पेश करना जिसमें स्थानी जमीअतों के प्रोग्राम उनकी कारगुज़ारी और अपने प्रदर्शन का विवरण दर्ज हों।

जहां जहां तामीरी प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हें आपस में एकीकृत रखना और कार्यकर्ताओं के लिये मिल जुल कर तरक्की करने के साधन जुटाना और वर्ष में एक बार किसी अधिकारी का निरीक्षण करना।

जनपदी अध्यक्ष, प्रबंधक और सदस्यों की आसानी और काम में मार्गदर्शन के लिये निम्न में कुछ सलाह और गुज़ारिशात की चर्चा की जाती है।

- जनपदी अध्यक्षों और प्रबंधकों को राजकीय जमीअत से अपना

हमारे लिये इस से बढ़ कर और क्या गर्व की बात हो सकती है कि अल्लाह तआला ने इस जमाअत से हम को जोड़ा और इसके चुनिंदा संस्थापकों से हम को निसबत दी है, हम सत्यता तौर पर कह सकते हैं:

अमल की अपने असास क्या है बजुज़ नदामत के पास क्या है
रहे सलामत तुम्हारी निसबत मेरा तो बस आसरा यही है।

और यह बात निडरतापूर्वक कही जा सकती है कि आज भारत की खराब स्थितियों के सुधार के बग़ैर जमीअत उलमा हिन्द के स्वार्थों और लक्ष्यों की पूर्ती मुश्किल है क्योंकि जमीअत उलमा के स्वार्थों और लक्ष्यों में से हर हर स्वार्थ और हर हर लक्ष्य वर्तमान समस्याओं के निपटारे का एकमात्र माध्यम है।

इस देश को तबाही व बरबादी से बचाना और अमन व शांती की राह पर लाना हमारी पहली ज़िम्मेदारी है, हम अपने वतन भाईयों के साथ मुहब्बत, अखूवत, भाईचारगी और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करें और जहां तक हो सके समाज सेवा और शोसल कामों में भरपूर हिस्सेदारी लें। यही हमारे अक़ा मुहम्मदे अर्बी स.अ.व.स. का तरीकाए कार रहा है। दीन के परचार व परसार में समाज सेवा बुनियादी हैसियत रखती है, यह बात हमेशा ज़ेहन में रहे कि जमीअत उलमा रसुलल्लाह स. अ.स. के प्रस्तारों की जमाअत है, इसकी तमाम गतिविधियां सुन्नत से मुस्तफाद और अल्लाह को राज़ी करने के लिये अंजाम दी जाती हैं।

इस लिये ज़रूरी है कि हम जमीअत उलमा के कारण को अच्छी तरह समझें और इबादत समझ कर काम करें।

आप का चुनाव अल्लाह की तरफ से है, इस पद को अल्लाह की अमानत समझें, अपने बड़ों से पहले आप अल्लाह के सामने ज़िम्मेदार हैं और अल्लाह के रसूल स.अ.स. ने कई हदीस में अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करने की ताकीद की है। हदीस की मशहूर किताब अल-तरग़ीब वत-तरहीब से कुछ हदीसें यहां नक़ल की जाती हैं जिन पर लगातार ध्यान करते रहना इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगा।

अल्लाह के रसूल स.अ.स. ने फरमाया: तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछ होगी।

अल्लाह तआला हर एक से इस ज़िम्मेदारी के बारे में पूछेंगे जो अल्लाह ने उसके सुपुर्द की है कि आया उसने उसको पूरा किया या रद किया।

अबूवाएल शक़ीक़ बिन उसामा कहते हैं कि हज़रत उमर रजि. ने बशीर बिन आसिम रजि. को हवाज़िन के सदक़ात का ज़िम्मेदार बनाया तो बशीर उसको लेने से पीछे हटे, जब हज़रत उमर रजि. की मुलाक़ात हुई तो हज़रत उमर रजि. ने फरमाया कि आप पीछे क्यों हटे, क्या तुम्हारे ऊपर हमारा सुनना और मानना ज़रूरी नहीं है, तो हज़रत बशीर बिन आसिम ने फरमाया कि क्यों नहीं, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल स.अ.स. को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख़्स मुसलमानों के किसी मसला का ज़िम्मेदार बनाया जाता है, क़्यामत के दिन उसको लाकर जहन्नम के पुल पर ख़ड़ा किया जायेगा, अगर उसने सही से ज़िम्मेदारी निभाई थी तो बच जायेगा और अगर ज़िम्मेदारी निभाने में कोताही की तो पुल उसको लेकर फट जायेगा और वह उसमें सत्तर साल की मसाफत तक गिरता रहेगा।

हज़रत अबूज़र रजि. से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल स.अ.स. से (किसी काम का) ज़िम्मेदार बनाने की मांग की तो आप स.अ.स. ने अपने हाथ से मेरे कांधे पर मार कर फरमाया ''ऐ! अबूज़र तुम कमज़ोर हो और यह एक बड़ी अमानत है जो क़्यामत के दिन रुसवाई और शर्मिंदगी का सबब होगी मगर जो शख़्स हक़ के साथ ले और अपनी ज़िम्मेदारी को (सही से) अदा करे।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल स.अ.स. ने इरशाद फरमाया: मेरी उम्मत में जो कोई लोगों के किसी मामले का ज़िम्मेदार बने फिर वह उनकी ऐसी हिफाज़त ना करे जैसे वह खुद के लिये करता है तो उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।

ख़ाज़िन

- वार्षिक बजट तय्यार करना।
- हिसाब किताब की निगरानी रखना।
- हर अर्थिक वर्ष के आखिर में ऑडिट रिपोर्ट तय्यार कराना।

सदस्यों की ज़िम्मेदारियां

- अध्यक्ष और सचिव की तरफ से जारी हिदायात पर अमल करना।
- जमीअत के काज़ को मज़बूत करने के लिये संघर्ष करना।
- विचार द्वारा तय कामों के लागू करने की चिंता करना।
- सभाओं और जमीअत के प्रोग्रामों में अपनी ज़िम्मेदारिों को अच्छे ढंग से निभाना।

स्थानीय और नगर की जमीअत उलमा की ज़िम्मेदारियां

(क) हर स्थानीय व शहरी जमीअत के लिये अनिवार्य होगा कि अपनी आबादी की समीक्षा कर वहां की शिक्षा तरक्की, समाजी सुधार, आर्थिक उन्नती और दीनी संघर्ष के लिये तामीरी प्रोग्राम के किसी अंग पर अमल दरआमद का ऐसा अमली खाका बनाये जिसको उसके कार्यकर्ता अपने संसाधनों और क्षमताओं से पूर्ण कर सकते हों।

एवं जनपदी जमीअतें वर्ष में एक सीरत कांफ्रंस और कार्यकर्ताओं की मेटिंग अवश्य करें।

(ख) जहां कोई प्रोग्राम कमज़ोरी से चल रहा हो वहां के पदाधिकारियों का फर्ज होगा की और ज़्यादा मज़बूती और उन्नती देने के लिये दूसरे जगहों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे सलाह करें या अपने कार्यकर्ताओं को भेज कर उनके अनुभव और हौसले बढ़ायें।

प्रोग्राम बनाते समय इसका ख़्याल रखना ज़रूरी है कि इससे

- हर कार्यकर्ता को उसकी काबलियत के अनुसार काम हवाले करना और उसकी निगरानी रखना।
- महत्वपूर्ण मामलों में संबंधित लोगों से पत्रचार करना, बात-चीत करना, या उनके बारे में संबोधन या सूचना जारी है।
- प्रबंधकों और कार्यकर्ताओं के कर्तव्यों की निगरानी रखना और शिकायतों की सुनवाई करना।
- जमीअत उलमा को शक्तिशाली बनाने के लिये इसी तरह उसके रचनातमक प्रोग्रामों का परिचय कराने के लिये अपने मातहत इलाक़ों का दौरा करना।

उपाध्यक्ष की ज़िम्मेदारियां

- अध्यक्ष के ना रहते जिसको अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी बनाये उसको अध्यक्ष पद के चार्ज हासिल होंगे।
- अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता करना।
- विभिन्न विभागों पर अध्यक्ष के साथ वितरण द्वारा काम करना।

महासचिव की ज़िम्मेदारियां

- अध्यक्ष के सलाह से आवश्यक्ता अनुसार प्रबंधकों में बदलाव करना।
- जिम्मेदारी के विभागों की देख रेख रखना इसके लिये बेहतर से बेहतर कार्यकर्ताओं का इंतेज़ाम करना।
- जमीअत की पालीसियों पर अमलदरामद की देख रेख करना।
- विभागों के प्रबंधकों को आवश्यक्ता अनुसार निर्देश देना।
- कार्यालय की आम संस्था व तरतीब की निगरानी करना।
- विभिन्न आवश्यक्ताओं के लिये प्रतिनिधिमंडल भेजना और इनके खर्च मंजूर करना।
- सभाओं और मेटिंगों की कार्रवाई को विनियमित करना, और उसका रजिस्ट्रों में सुरक्षित कराना।

जो भी अमीर मुसलमानों के मसाइल का ज़िम्मेदार बन कर उनके लिये ख़ैरख्वाही के साथ जिद्दो जोहद नहीं करता है तो वह मुसलमानों के साथ जन्नत में दाखिल नहीं होगा।

जमीअत उलमा हिन्द के बुनियादी संविधान में बताये गये स्वार्थों व लक्ष्यों की प्राप्ती के लिये हर स्वार्थ के तहत लागू करने की शकलें और प्रकृया में लाने का संक्षिप्त खाका यहां पेश किया जा रहा है। आप अपने इलाके और माहौल के मुताबिक इन स्वार्थों और लक्ष्यों को लागू करने की चिंता करें।

Protection of Islamic Beliefs, Identity, Heritage and Places of Worship

इस्लामी अक़ाइद, तशख्खुस, इबादतगाहों और दीनी वरसा की रक्षा

- हर गांव में मकतब का प्रचलन
- व्यस्कों की शिक्षा के क्लासेस
- नुक्कड़ के जोड़
- मस्जिदों में दर्से कुरान, दर्से हदीस, दर्से फेक़ह का व्यवस्था
- जमाअत के निज़ाम से जुड़ना
- हर उस चीज़ पर नज़र रखना जिससे इस्लामी अकायद, तशख्खुस और इबादत गाहों पर हमला होता हो उसके खातमे के माध्यमों को ढूंढ़ना।

Securing and safeguarding the civil, religious cultural and educational rights of Muslims

मुसलमानों के सांस्कृतिक, धार्मिक और शिक्षण अधिकार प्राप्ती और सुरक्षा

- सांस्कृतिक, धार्मिक और शिक्षण अधिकारों की जानकारी प्राप्त करना।

- उलमाए केराम द्वारा धर्मिक, सांस्कृतिक अधिकारों के लिये जागरुकता सम्मेलन करना।
- वकीलों द्वारा विभिन्न समय में ''अपने संवैधानिक अधिकार जानिये'' विषय पर प्रोग्राम करना।

Social, Educational and religious reform among Muslims economic and social

मुसलमानों के बीच समाजी, शैक्षिणक और धार्मिक सुधार

- स्कूलों में दीनी प्रोग्राम कराना।
- कभी कभार समाज सुधार के विषय पर उलमा के बयानात तय करना। (ईमानियात, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अख़लाकियात)
- महीना में एक बार स्कूल के शिक्षकों की उलमा द्वारा दीनी ज़ेहन साज़ी।
- नवजवानों के लिये उनकी दिलचस्पी के प्रोग्राम बनाना।
- शादी ब्याह के नाजाएज़ रस्म व रिवाज, वरासत ना देना, गाने बजाने, मोबाईल फोन इंटरनेट का ग़लत इस्तेमाल, फराइज़ की अदायगी में कोताही जैसे मुनकरात पर उलमाए केराम के बयानात तय करना।
- स्काउट ट्रेनिंग कैम्प के आयोजन की फिकर करना।

Establishment of Institutions for progress and Stability in educational, cultural.

मुसलमानों के लिये अर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मज़बूती और उन्नती के एदारे कायम करना

- मक़ामी मुसलमानों की तादाद और उनकी अर्थिक और शैक्षणिक मेयार मालूम करने के लिये इमामों की मदद से अपने अपने क्षेत्र में सर्वे करके रिपोर्ट तय्यार करना।

जैसे अगर किसी कीक उंगली कट जाती है तो, ज़बान उसी वक़्त आह भर कर आस पास के लोगों को अलर्ट करती है, आंख तुरंत आकर्षित हो जाती है और वह यह नहीं कहती कि यह मेरा मसला नहीं है, उंगली का है तो उंगली जाने, बल्कि फौरन आंख देख कर दिमाग को बताती है, दिमाग फौरन सोचने लगता है कि ज़ख़्म कम है या ज़्यादा और उसके इलाज के लिये घर में ही कुछ किया जाये या डाक्टर के पास जाना चाहिए, अब पैर चलने लगते हैं, फिर हाथ हरकत में आते हैं और पूरा शरीर उस उंगली के लिये काम करने लगता है, और इतना ही नहीं रात होते होते जिस्म की रग रग बुखार में होकर उंगली के ग़म में शामिल हो जाती है, और जब तक उंगली का ज़ख़्म अच्छा ना हो पूरा शरीर बेचैनी को महसूस करता है।

इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि उम्मत का कोई व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी में लिप्त हो तो पूरी उम्मत को बेचैन होकर उसकी सहायता में लग जाना चाहिए। इसी हदीस से यह भी स्पष्ट होता कि उम्मत के अफराद शरीर के अंग की तरह हैं। दिल, दिमाग, आंख, कान, हाथ पैर अपना अपना काम अंजाम देंगे तो जिस्म को फायदा हासिल होगा और नुकसान से बचाव होगा।

यही हाल संसथा का भी है, जमाअत में अध्यक्ष और समाज में एक विद्वान की हैसियत एक दिल की तरह है, दिल एक ऐसा अंग है जो जनम पूर्व से मृत्यु तक धड़कता रहता है, और लगातार बेथके काम करता है, और पूरे शरीर की सेहत उसकी सेहत पर निर्भर है जैसा कि हदीस में बताया गया है।

अध्यक्ष की ज़िम्मेदारियां

- सभी सभाओं की अध्यक्षता करना।
- जनरल सेकरेट्री के कामों और विकल्पों और आम कारगुज़ारी में मार्गदर्शन करना।

- वकीलों की एक टीम खास इसी मक़सद के लिये कठित करना।
- वक़्फ की संपत्ती पर नाजाएज़ क़ब्ज़ा को हटाने की कोशिश करना और उसके सही इस्तेमाल की चिंता दिलाना।
- तमाम मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन, सालाना आडिट रिपोर्ट, कार्पोरेशन टेक्स वग़ैरा के बारे में ज़िम्मेदारों के साथ मेटिंग करना और जागरुक्ता पैदा करना।

ऊपर दिये गये स्वार्थ और लक्ष्य में से हर स्वार्थ और लक्ष्य को पूरा करने के लिये विभिन्न उपसंस्थाओं को निर्माण करें। जैसे...

- मीडिया पर नज़र रखना, प्रोग्राम की न्यूज व रिपोर्ट तय्यार करना, मेमूरंडम तय्यार करना।
- समकालीन शैक्षिक मामले, स्कीमें, स्कॉलरशिप अथवा
- दीनी शैक्षिक मामले, समाज सुधार
- पुलिस डिपार्ट से संबंधित काम काज
- तहसील आफिस, कारपोरेशन के काम
- रिलीफ, विधवा व अनाथों की मदद
- क़ानूनी सहायती कमेटी
- फाइनंस कमेटी (खजाना)

जमीअत उलमा हिन्द अल्लाह के फक़ीरों की जमाअत है और यहां पद का मक़सद सिर्फ अनुशासन और प्रबंधन है नाकि गर्व और मुबाहात, अत: हर सदस्य को अपनी ताकत भर जमीअत के काज़ को मज़बूत करने के लिये भरपूर संघर्ष करना चाहिए।

अल्लाह के रसूल स.अ.स. ने इरशाद फरमाया: आपसी मुहब्बत, रहम और नरमी के सिलसिले में मोमिनों की मिसाल ऐसी ही है जैसी एक जिस्म की, कि जब उसके कोई एक अंग को तकलीफ होती है तो सारा शरीर बुखार से रात जाग कर बेचैन होता है। (बुखारी व मुस्लिम)

- नवजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिये छोटे मोटे उद्योगिक कोरसेस का इंतेज़ाम करना।
- विधवा और यतीमों का सर्वे करके सूची तैयार करना।
- विधवाओं के लिये अलग से छोटे मोटे घरेलू कारोबार की ट्रेनिंग और काम से लगाना।
- छट्टी जमाअत से दस्वीं तक के तलबा के लिये अंगरेज़ी, मराठी, गणित और साइंस का ट्यूशन क्लासेस का इंतेज़ाम करना।
- दसवीं और बारहवीं के तलबा के लिये केरियर गाईडेंस (नोकरी के सिलसिले में मार्गदर्शन) के प्रोग्राम सेट करना।
- दीनी रहेन सहेन, इस्लामी वैवाहिक जीवन, बच्चों का प्रशिक्षण प्रणाली, व्यक्तिगत और समुदायी जीवन से मुतअल्लिक इस्लामी शिक्षाओं का प्रसार करना।

Fostering and stabilizing amicable relations between different communities living in the Union of India, in accordance with the teachings of Islam

इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में भारत में बसे भिन्न धर्मों के बीच राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

- रमज़ानुल मुबारक और ईदुल अज़हा से पहले साझा अमन प्रोग्राम संचालित करना।
- राष्ट्रीय एकता के लिये कलक्टर, पोलिस कमिश्नर, कारपोरेशन कमिश्नर और भिन्न धार्मिक गुरुओं को आमंत्रित करके राष्ट्रीय एकता का प्रोग्राम बनाना।

- अपने समाज सेवी कामों में ग़ैर मुस्लिम तंज़ीमों को भी शरीक करना।
- कभी कभार पुलिस अफसरों, और अन्य धर्मों के राजनीतिक और धार्मिक लीडरों से मिलकर राष्ट्रीय एकता के जरूरत और उसके फायदों पर बातचीत करना।
- देश की सुरक्षा और एकता के लिये जरूरी है कि देश की प्रणाली सेक्युलर रहे, और सेक्युलरिज़्म का मतलब हमारे नज़दीक यह है कि हर व्यक्ति आज़ादी से अपने धर्म पर अमल करे लेकिन राजनीति धर्म के नाम पर ना करे। और इस सिलसिले में जन जागरुक्ता पैदा करना।

Revival of Arabic and Islamic Studies and framing syllabus and curriculum according to needs of the present age.

अरबी भाषा और अन्य इस्लामी ज्ञानों का प्रचार करना, और बदलती प्रस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना

- दीनी मदरसों के शिक्षकों व उत्तरदायित्वों द्वारा जनता में अरबी भाषा और इस्लामी ज्ञानों की ज़रूरत और फायदों पर कैम्प लगाना।
- समकालीन संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रम में अक़ीदा बिगाड़ने वाला और नैतिकता को खराब करने वाले मवाद की पहचान करके उसके सुधार की कोशिश करना।
- स्कूलों के पाठ्यक्रम में मिटे ऐतिहासिक तथ्यों की पहचान और सही ऐतिहास से जनता और विद्यार्थियों को ओगत कराना।

- समकालीन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये सुबह तीन घंटे की शिक्षा का इंतेज़ाम इस तरह क़ायम करें कि विद्यार्थी दसवीं तक पहुंचते पहुंचते अरबी दोम का निसाब पूरा करले।

Dissemination and propagation of the teachings of Islam

इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना

- इस्लामी मदरसों को मज़बूत करने की संभव कोशिश करना।
- नित नये मसलों को इस्लामी शिक्षा की रोशनी में हल करके जनता के सामने रखना।
- इस्लामी शिक्षा की बरतरी और प्रचार के लिये फिक्र करना क्योंकि इस्लाम ही वह अकेला धर्म है जो हर युग में मनुष्यों के तमाम समस्याओं का समाधान करता है, इस पर मुहाज़रात पेश करना।
- इस्लाम की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली के फायदे पर विद्वानों के बीच बात-चीत करना।
- जगह जगह पर दीनी किताबों की लाइब्रेरी बनाना और उससे फायदा पाने के लिये सार्वजनिक जागरुकता पैदा करना।

Management and protection of Islamic Aukaf

मुसलमानों के औक़ाफ की सुरक्षा की व्यवस्था करना।

- औक़ाफ की संपत्ती की लिस्ट हासिल करना। इसी तरह मस्जिदों और मदरसों की लिस्ट उनके ज़िम्मेदारों के फोन नंबर तैयार करना।
- अगर कोई संपत्ती वक़्फ में रजिस्टर्ड ना हो तो उसको रजिस्टर्ड कराने की चिंता करना।